**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या – 12/2008/223 आर टी ए

1. जगतारसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. लाभसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

**बनाम**

1. बलजिन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जरनैलसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. जगरूपसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मंगलसिंह पुत्र दीवानसिंह पौत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तारासिंह पुत्र सरूपसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. नक्षत्रसिंह पुत्र सरूपसिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. श्रीमति तेजकौर पत्नि सरूपसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. गुरसेवकसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. सरजीतसिंह पुत्र अमलोकसिंह पौत्र अपारसिंह उर्फ अवतारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. जीतसिंह पुत्र अमलोकसिंह पौत्र अपारसिंह उर्फ अवतारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. धीरसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. जसवीरसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. लखवीरसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. मन्दरसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. हरभजनसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. श्रीमति दलीपकौर पत्नि जीवनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. बहादूरसिंह पुत्र हजूरसिंह पौत्र जगतसिंह पडपौत्र बागसिंह उर्फ बारासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. सतपालसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह पौत्र हजूरसिंह पडपौत्र जगतसिंह बारासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. काकासिंह पुत्र गुरजन्टसिंह पौत्र हजूरसिंह पडपौत्र जगतसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. सुखदेवकौर पत्नि गुरजंटसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. छिन्द्रकौर पुत्री गुरजंटसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. नसीबकौर पुत्री गुरजंटसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. नक्षत्रसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. रामसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. ढाणासिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. दर्शनसिंह पुत्र कुलवंतसिंह पौत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27. बलविन्द्रसिंह पुत्र कुलवंतसिंह पौत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. मंगलसिंह पुत्र कुलवंतसिंह पौत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. दीदारसिंह पुत्र हरचंद सिंह पौत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. प्रीतमसिंह पुत्र हरचंदसिंह पौत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. सतनामसिंह पुत्र राजसिंह पौत्र हरचंदसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. श्रीमति सरजीतकौर पत्नि रामसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. दलजीतसिंह दत्तक पुत्र उजागरसिंह पौत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. कर्मसिंह पुत्र करतारसिंह पौत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. समुन्द्रसिंह पुत्र करतारसिंह पौत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. श्रीमति संतवतकौर पुत्री करतारसिंह पौत्री होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. मलसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
38. सरजीतसिंह पुत्र हरदयालसिंह पौत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39. मेजरसिंह पुत्र मलनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. हरदेवसिंह पुत्र मलनसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
41. नायबसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

42. गुरमेलसिंह जगरसिंह जाति जटसिख निवासी बीकानेर हाल उपनिरीक्षक पुलिस लाईन श्रीगंगानगर।
43. सुखपालकौर पत्नि बलजिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. तहसीलदार राजस्व संगरिया
45. जगसीरसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
46. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 94/2004 अनवानी बलजिन्द्र सिंह बनाम जरनैलसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री संतोषसिंह भाटी अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री कानाराम वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 44

निर्णय दिनांकः–16.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए का पेश किया कर वादपत्र मे चक 2 केएसडी के खाता सं. 12/12 व 54/51 मे दर्ज अपने पिता के सम्मिलित अपने 1/2 हिस्सा की भूमि संबंधी घोषणा चाही व वादपत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित भूमि का विभाजन चाहा व अपना खाता पृथक से कायम किये जाने की प्रार्थना पत्र की। प्रतिवादी सं. 7 व 8 अपीलांटस उक्त वादपत्र मे उपस्थित आये व दिनांक 14.06.2005 को प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी जरनैलसिंह को खाता सं. 54/51 मे अंकित उसके 100 हिस्सा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी परन्तु कब्जा उसके द्वारा पूर्व मे हुए घरूबंटवारा की रूह से प्राप्त भूमि वाके चक 2 केएसडी के खाता सं. 54/51 के प.न. 162/118 मु.न. 51 का कि.न. 25, प.न. 163/119 का कि.न. 20 का 0.138 व खाता सं. 35/80 के प.न. 163/119 के कि.न. 21 का 0.076 है0 सहित भूमि का कब्जा प्रदान किया। इस प्रतिदावा का वादी/रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/रेस्पो0 डिक्री किया गया

व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0/वादी ने वादपत्र के अभिकथनो मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पूर्व सहखातेदार जगतसिंह पत्र बारासिंह के साथ घरूबंटवारा किया हुआ है। जाहिर है कि अपीलांटस ने चक 2 केएसडी के प.न. 163/119 का कि.न. 21 की 0.076 है0 भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था व तभी से अपीलांटस को उक्त भूमि पर काबिज करवाया गया था। तत्पश्चात रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने बदयांतिपूर्वक उक्त भूमि जगतसिंह के बंटवारा मे दिया दी जबकि इस भूमि पर जगतसिंह पुत्र बारासिंह का कभी कब्जा नही रहा व ना ही आज हैं वर्तमान मे यह भूमि चक 2 केएसडी के खाता सं. 41/35 की कुल 0.380 है0 भूमि का एक हिस्सा है व जगतसिंह पुत्र बारासिंह के नाम खातेदारी दर्ज कागजात माल है। वादी/रेस्पो0 सं. 1 ने वादपत्र के पैरा सं. 4 मे जगतसिंह पुत्र बारासिंह के द्वारा घरेलू बंटवारा से प्राप्त भूमि का खाता किसी अन्य मुकदमा शीर्षक सतपालसिंह बनाम हजूरसिंह आदि मे पृथक करवाये जाने का कथन किया है। जगतसिंह फौतशुदा है जिसके दो पुत्र हजूरसिंह व जीवनसिंह है। हजूरसिंह व जीवनसिंह फौत हो चुके है। हजूरसिंह के दो पुत्र गुरजंटसिंह व बहादूरसिंह। गुरजंटसिंह भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 18 ता 22 है। जीवनसिंह के वारिसान रेस्पो0 सं. 11 ता 15 है। इन सभी जगतसिंह के वारिसान ने अपीलांटस के प्रतिदावा का कोई विरोध नही किया क्योंकि वर्ष 1989 मे जब वादग्रस्त भूमि 0.076 है0 भूमि सहित कुल 140 हिस्सा भूमि अपीलांट ने क्रय की थी यह 140 हिस्सा की भूमि रेस्पो0 सं. 2 जरनैलसिंह व जगतसिंह के नाम सांझे खाता की थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी के कारण के प्रतिदावा इस आधार पर खारिज किया कि खाता सं. 35/80 मे अपीलांटस का नाम नही है व न ही खाता सं. 12/12 मे नाम है। वादी द्वारा चक 2 केएसडी के खाता सं. 54/51 व 12/12 मे स्थित भूमियों का विभाजन चाहा है जबकि अपीलांट के प्रतिदावा मे खाता सं. 54/51 की कुल 0.391 है0 भूमि का ही विभाजन चाहा था। इस सीमा तक विभाजन को स्वीकार करने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्शित नही किया अपितु रिकार्ड से बाहर जाकर विचारण किया।

4. वर्तमान मे भी खाता सं. 85/54 पुराना (54/51) मे भी अपीलांट के नाम 40 हिस्सा यानि 2 बीघा का हिस्सा दर्ज है जिसकी भूमि के कब्जा मुताबिक अथवा अच्छीमंदी के

हिसाब से तकसीम किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.07 को पारित की हुई है जिसके पारित किये जाने की कोई सूचना अपीलांट के अधिवक्ता ने नही दी जिसकी वजह से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के पारित होने की कोई सूचना प्राप्त नही हुई। दिनांक 22.01.2008 को अपीलांट को पटवारी हल्का ने सर्वप्रथम बताया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा पारित करवाई गई डिक्री का इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही हो रही है। इस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने सर्वप्रथम दिनांक 22.01.08 को अपीलांट का प्रतिदावा खारिज होने के बारे मे जानकारी दी। यह परिसीमित अवधि 20.09.07 को समाप्त हुई तत्पश्चात का समय चूंकि मियाद बाहर है जो उपरोक्त दर्ज सद्भावी कारणों की वजह से न्यायहित मे माफ किया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलांट अपील के बहुमूल्य आधार से वंचित हो जावेगें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आंशिक रूप से निरस्त कर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अपीलांट के पक्ष मे डिक्री किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में लिखित बहस के वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए का पेश किया कर वादपत्र मे चक 2 केएसडी के खाता सं. 12/12 व 54/51 मे दर्ज अपने पिता के सम्मिलित अपने 1/2 हिस्सा की भूमि संबंधी घोषणा चाही व वादपत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित भूमि का विभाजन चाहा व अपना खाता पृथक से कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी सं. 7 व 8 अपीलांटस उक्त वादपत्र मे उपस्थित आकर प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी जरनैलसिंह को खाता सं. 54/51 मे अंकित उसके 100 हिस्सा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी परन्तु कब्जा उसके द्वारा पूर्व मे हुए घरूबंटवारा की रूह से प्राप्त भूमि वाके चक 2 केएसडी के खाता सं. 54/51 के प.न. 162/118 मु.न. 51 का कि.न. 25, प.न. 163/119 का कि.न. 20 का 0.138 व खाता सं. 35/80 के प.न. 163/119 के कि.न. 21 का 0.076 है0 सहित भूमि का कब्जा प्रदान किया। परन्तु जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार अपीलांटस द्वारा अनुतोष नही चाहते हुए किसी अन्य खाता की भूमि का कब्जा होने का कथन किया गया जबकि अपीलांटस द्वारा चक 2 केएसडी के खाता सं. 54/51 मे से अपने हिस्सा की 0.506 है0 आराजी जगजीत सिंह पुत्र मोहरसिंह को दौराने वाद बैचान कर दी जिसके लिए रेस्पो0/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलांटस अपनी खरीदशुदा भूमि भी दौराने वाद

बैचान कर दी है। इसलिये अपीलांटस ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है और ना ही अपील के दौरान कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/रेस्पो0 डिक्री किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 5 के पिता के नाम चक 2 केएसडी के खाता सं. 54/51 मे 3.251 है0 हिस्सा है व चक 2 एएमपी के खाता सं. 6/7 मे 1.922 है0 मे से 1/4 हिस्सा चक 3 एएमपी के खाता सं. 68/64 मे 13.032 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा चक 5 एएमपी के खाता सं. 45/44 मे 2.061½ मे से 1/4 हिस्सा है। रेस्पो0 घोषणा करवाकर खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी के कारण के अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 के प्रतिदावा को एक साथ इस आधार पर खारिज किया कि खाता सं. 35/80 मे रेस्पो0 का का नाम नही है व न ही खाता सं. चक 2 केएसडी के खाता सं. 12/12 मे प्रतिवादी सं. 4 व 7, 8 का हिस्सा दर्ज है। जबकि रेस्पो सं. 5 एवं अन्य प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता के नाम से दर्ज है तथा जिसमे प्रतिवादी सं. 4 व 5 की माता ने अपना हिस्सा का परित्याग प्रतिवादी सं. 4 व 5 के पक्ष मे कर दिया है। परन्तु रिकार्ड मे उक्त भूमि उसके पिता के नाम से दर्ज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए कांउटर प्रतिवादी सं. 4 व 5 डिक्री किया जावें।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए के तहत पेश कर खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र डिक्री करते हुए अपीलांटस एवं रेस्पो0 सं. 5 का काउंटर क्लेम खारिज किया गया है। जबकि अपीलांटस का तर्क है कि अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीदशुदा है परन्तु अपीलांटस को खरीदशुदा भूमि के बदले मे अन्य खाता की भूमि का कब्जा पूर्व घरूबंटवारा के अनुसार दिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा भूमि इस आधार पर नही माना कि अपीलांटस द्वारा बताये कब्जा भूमि के खाता मे अपीलांटस का नाम दर्ज नही है इसलिये अपीलांट/प्रतिवादी कांउटर क्लेम के अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही

है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत घोषणा के साथ साथ खाता तकसीम का भी था तथा खाता तकसीम के वाद मे सहमति/राजीनामा नही होने की स्थिति मे वाद मे प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान का मौका कब्जा काश्त की स्थिति के संबंध मे विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये बिना मौका कब्जा काश्त की जांच किये तथा प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना दावा अन्तिम डिक्री करते हुए खाता विभाजन कर दिया गया जिसकी पुष्टि की यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण मे विरचित तनकीयात के आधार पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ